राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1624 / 2016.. जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स एन. के. प्रोटीन्स (प्रा0) लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) सहायक आयुक्त (ए.ई.), वाणिज्यिक कर कोटा (2) अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणि. कर, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य श्री राजीव चौधरी, सदस्य	
05 / 08 / 2016	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या अ.प्रा.–II / स्थगन / अ.सं. 106 / 16–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वृत–प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24(6), 26, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 02.05.2016 से सृजित मांग राशि रूपये 24,11,289 / – में से वसूली योग्य राशि रूपये 23,45,489 / – के स्थगन हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 16.12.2010 को किया गया तथा मौके से खरीद बिल व लेखा–पुस्तकों का सत्यापन किये जाने पर रूपये 1,31,40,544 / – का माल अघोषित पाया गया, जिसका सत्यापन लेखा–पुस्तकों से नहीं पाया गया। इस बाबत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद व्यवहारी उक्त अघोषित माल से सम्बन्धित ना तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत कर सका एवं ना ही अपना पक्ष प्रस्तुत कर सका। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 24(6), 26, 55 व 61 के तहत आदेश दिनांक 02.05.2016 पारित करते हुए उक्त अघोषित माल पर 5 प्रतिशत की दर से वैट रूपये 6,57,027 / –, धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 13,14,054 / – एवं ब्याज रूपये 4,40,208 / – कुल रूपये 24,11,289 / – का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, साथ ही धारा 38(4) के तहत स्थगन हेतु प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.06.2016 से अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये लगातार..............2	

लगातार..............2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1624/2016.. जिला ....जयपुर..

उनवान : मैसर्स एन. के. प्रोटीन्स (प्रा0) लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) सहायक आयुक्त (ए.ई.), वाणिज्यिक कर कोटा (2) अपीलीय प्राधिकारी–II, वाणि. कर, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/08/2016	जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया वसूली योग्य राशि रूपये 23,45,489/– के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक श्री यशस्वी शर्मा तथा प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेश के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है। साथ ही अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के दो माह की अवधि में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 05/08/16 — सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर 05/08/2016 — सदस्य, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर	